

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम रामगोपाल वगै०

संख्या: 86 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.03.2024	<p>वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निपेघाज्ञा राजस्थान कारशतकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 24.04.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)</p> <p><i>उपखण्ड अधिकारी</i> पत्रावली प्रार्थी/वादी की तौर से प्राप्त बाबत वाद पत्र की विज्ञापन का पेश किया प्रार्थी पर प्रार्थी/वादी को सुना गया प्रार्थी/वादी का प्रार्थी बाबत वाद पत्र को विज्ञापन जाने का स्वीकार किया जाता है वादी का वाद विज्ञापन के बाबत पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली के अंत में वादी को सूचित किया जा रहा है वादतकाल प्रारंभ होना है।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i></p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)</p>	<p><i>गोरिफ्तारी</i> 1290-1295 22/3/24</p> <p><i>नाथूलाल</i> Ild Manoj (मनोज चौधरी) 31/3/2024</p>

